प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उ0प्र0 लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद– अलीगढ

पत्रांकः एस.पी.एम.यू. / कम्यू.प्रो. / एम. एण्ड ई. भ्रमण / 2018–19 / 105 / 1478 दिनांक 16.05.2019

विषय–दिनांक 24 से 27 अप्रैल, 2019 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्तर की टीम के द्वारा किये गये सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या–SPMU/NHM/M&E/2018-19/04/10262 दिनांक 31.12.2018 एवं SPMU/NHM/M&E/2018-19/18/1290-4 दिनांक 27.03.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मिशन निदेशक के निर्देशों के क्रम में राज्य स्तरीय दल द्वारा दिनांक 24 से 27 अप्रैल, 2019 तक जनपद अलीगढ का भ्रमण कर जनपद में संचालित स्वास्थ्य सेवाओं का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया तथा समीक्षा कर विस्तृत आख्या उपलब्ध करायी गयी है।

राज्य स्तरीय दल द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित है कि उक्त आख्या पर आवश्यक कार्यवाही करते हेतु बिन्दुवार अनुपालन आख्या राज्य स्तर पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(थमीम अंसरिया ए.)
अपर मिशन निदेशक

पत्रांकः एस.पी.एम.यू. / कम्यू.प्रो. / एम. एण्ड ई. भ्रमण / 2018–19 / 105 / तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद अलीगढ।
3. समस्त महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से कि अपने कार्यक्रम से सम्बन्धित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही हेतु जनपद को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, अलीगढ, मण्डल– अलीगढ।
5. मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, एन0एच0एम0, अलीगढ।
6. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, जनपद अलीगढ को इस निर्देश के साथ कि उक्त आख्या का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(मो0 अताउर रब)
उपमहाप्रबन्धक, कम्यू0प्रो0

# भ्रमण आख्या जनपद–अलीगढ़

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के पत्र संख्या–SPMU/NHM/M&E/2018-19/04/10262 दिनांक 31.12.2018 एवं SPMU/NHM/M&E/2018-19/18/1290-4 दिनांक 27.03.2019 क्रम में पत्र में दिए गए निर्देशों के अनुपालनार्थ दिनांक 24–27 अप्रैल, 2019 को भ्रमण दल द्वारा जनपद अलीगढ़ का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया। भ्रमण दल के सदस्यों का विवरण निम्नानुसार है:–

1. मो0 अताउर रब, उप महाप्रबन्धक, कम्यूनिटी प्रोसेस, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
2. श्री परमेश कुमार वर्मा, प्रशिक्षण एवं अनुश्रवण अधिकारी, कम्यूनिटी प्रोसेस, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
3. मो0 आज़म ख़ान, अभिलेखीकरण एवं अनुश्रवण अधिकारी, कम्युनिटी प्रोसेस, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।

**सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की गयी इकाईयॉ :–**

1. मोहन लाल गौतम जिला महिला चिकित्सालय, अलीगढ़।
2. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लोधा।
3. उपकेन्द्र, बुकराबली, ग्राम–लखनपुर, ब्लाक–लोधा।
4. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अण्डला, ब्लाक–खैर।
5. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खैर।
6. ग्राम रूस्तमपुर सरतखान, उपकेन्द्र, नगला मंदिर, ब्लाक–लोधा (वी.एच.एन.डी. सत्र)।
7. उपकेन्द्र, मईनाथ, ब्लाक–लोधा (वी.एच.एन.डी. सत्र)।

जनपद की सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की आख्या निम्नवत् है :–

| क्र. स. | चिकित्सा इकाई | अवलोकन बिन्दु | सुधारात्मक कार्यवाही | कार्यवाही का स्तर |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मोहन लाल गौतम जिला महिला चिकित्सालय | • विगत भ्रमण के दौरान चिकित्सा इकाई में आर0के0एस0 का नवीनीकरण नहीं कराया गया था, जिसके सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा महोदया को अवगत कराया गया था। वर्तमान भ्रमण में आर0के0एस0 का नवीनीकरण करा लिया गया है।<br>• चिकित्सालय में प्रतिमाह 800 से 900 प्रसव प्रतिमाह होते हैं। उक्त प्रसवों में से लगभग 7 से 10 प्रतिशत सीजेरियन प्रसव कराये जाते हैं।<br>• चिकित्सालय के मुख्य द्वार पर अनिधिकृत दुकानदारों/खोमचेवालों के कारण एम्बुलेंस/आम रोगियों को परिसर में आने में परेशानी होती है।<br>• जे0एस0वाई0 के अन्तर्गत एम0सी0ओ0एस0 पोर्टल पर 72 प्रतिशत लाभार्थियों का अंकन किया गया है।<br>• विगत वर्ष में 10156 प्रसवों के सापेक्ष कुल 7796 लाभार्थियों को जे0एस0वाई0 की धनराशि प्रदान की गयी। शेष लाभार्थियों को खाता उपलब्ध न होने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका। | • हास्पिटल मैनेजर को सुझाव दिया गया कि वह मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका महोदया के सहयोग से अनिधिकृत दुकानदारों/खोमचेवालों को परिसर से दूर रखने का प्रयास करें।<br>• एम0सी0ओ0एस0 ऑपरेटर को शत प्रतिशत लाभार्थियों का अंकन एम0सी0ओ0एस0 पोर्टल पर करने हेतु सुझाव दिया गया।<br>• राज्य स्तरीय दल द्वारा सुझाव दिया गया कि वह लाभार्थियों की ब्लाकवार सूची तैयार कर डी0सी0पी0एम0 एवं बी0सी0पी0एम0 के सहयोग से लाभार्थियों की खाता संख्या उपलब्ध कराकर भुगतान कराया जाये। | मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | • लेबर रूम निर्धारित प्रोटोकाल पोस्टर नहीं थे।<br>• लेबर टेबल पर कैलिस पैड में हवा नहीं थी।<br>• लेबर रूम में डिजिटल घड़ी नहीं थी एवं खिड़की टूटी हुई थी।<br>• प्रसव रजिस्टर में एम0सी0टी0एस0 संख्या का अंकन नहीं किया जा रहा था एवं प्रसव रजिस्टर के अन्त में समरी शीट पर भी अंकन नहीं किया जा रहा था।<br>• लेबर रूम में पार्टोग्राफ नहीं भरा जा रहा था।<br>• एस0एन0सी0यू0 वार्ड में 14 वार्मर एवं 4 फोटोथेरेपी मशीन थीं<br>• एस0एन0सी0यू0 वार्ड के आउटडोर यूनिट में एक यूनिट रेडियन्ट वार्मर पर दो बच्चों का इलाज किया जा रहा था।<br>• विटामिन ए सीरप, कैल्शियम अनुपलब्ध था।<br>• भ्रमण के समय चिकित्सालय के गेट पर 108 एवं 102 एम्बुलेन्स सेवा के वाहन का निरीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि वाहन में निर्धारित इमरजेन्सी किट उपलब्ध नहीं थी। वाहन में स्ट्रेचर की स्थिति टीक नहीं थी।<br>• मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महोदया द्वारा अवगत कराया गया कि चिकित्सालय में गार्ड की संख्या अत्यन्त कम है।<br>• मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महोदया द्वारा अवगत कराया गया कि चिकित्सालय में सेन्ट्रल आक्शीजन सिस्टम की आवश्यकता है। एस0एन0सी0यू0 वार्ड में आक्शीजन सेलेण्डर होने के कारण दुर्घटना होने की सम्भावना रहती है। | • मेट्रन को सुझाव दिया गया कि वह निर्धारित प्रोटोकाल पोस्टर लेबर रूम में चस्पा करायें।<br>• हास्पिटल मैनेजर को सुझाव दिया गया कि वह लेबर रूम में कार्य करने वाले कार्मिकों का समय–समय क्वालिटी एश्योरेंस के सम्बन्ध में अभिमुखीकरण करते रहें तथा कैलिस पैड एवं अन्य उपकरणों की उपयोगिता तथा साफ–सफाई के बारे बताते रहें।<br>• डिजिटल घड़ी लगवाने एवं खिड़की सही कराने हेतु सुझाव दिया गया।<br>• उपस्थित कर्मियों को एम0सी0टी0एस0 संख्या एवं समरी शीट का महत्व बताते हुए उन्हें इसे निरन्तर भरने हेतु सुझाव दिया गया।<br>• हास्पिटल मैनेजर को सुझाव दिया गया कि वह लेबर रूम में कार्य करने वाली स्टाफ नर्स को पार्टोग्राफ की उपयोगिता बतायें एवं पार्टोग्राफ भराना सुनिश्चित करें।<br>• चिकित्सा अधीक्षिका महोदया को इस सम्बन्ध में अवगत करा दिया गया था। महोदया द्वारा आश्वासन दिया गया कि वह जल्द ही समस्या का निराकरण कर लेंगी।<br>• चीफ फार्मासिस्ट को सुझाव दिया गया कि वह मुख्य चिकित्सा अधीक्षका महोदया के सहयोग से दवाओं उपलब्धता चिकित्सालय में सुनिश्चित करें।<br>• वाहन चालकों को वाहन में समस्त आवश्यक औषधियों एवं उपकरणों की उपलब्धता एवं बेहतर रख–रखाव सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। | |
| 2 | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लोधा। | • चिकित्सालय का बोर्ड पुराना हो चुका था। चिकित्सालय का नाम साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था।<br>• चिकित्सा इकाई मुख्य मार्ग से लगभग डेढ़ से दो किमी0 अन्दर है। मुख्य मार्ग पर चिकित्सा इकाई के सम्बन्ध में कोई बोर्ड इत्यादि नहीं | • प्रभारी चिकित्सा अधिकारी महोदय को सुझाव दिया गया कि मुख्य मार्ग, चिकित्सा इकाई के नाम का बोर्ड, सिटीजन चार्टर एवं आशा शिकायत निवारण समिति के सम्बन्ध में बोर्डएव वाल राईटिंग कराना सुनिश्चित करें। | प्रभारी चिकित्सा अधीकारी / जनपद स्तर |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | लगाया गया है।<br>• सिटिजन चार्टर नहीं लगाया गया था।<br>• आशा शिकायत निवारण समिति के विषय में वाल राईटिंग नहीं करायी गयी थी।<br>• वार्ड के बेड, गद्दे व चादरें गंदे थे।<br>• वार्ड अत्यन्त अस्त–व्यस्त अवस्था में था।<br>• वार्ड का टायलेट साफ नहीं था।<br>• चिकित्सालय के मुख्य द्वार पर स्ट्रेचर व व्हील चेयर उपलब्ध नहीं थे।<br>• लेबर टेबल अत्यन्त दयनीय स्थिति में थी।<br>• लेबर रूम का शौचालय में गंदगी थी।<br>• चिकित्सालय के लेबर रूम में कैलिस पैड, सैवन ट्रे, डिजिटल वाच आदि नहीं था।<br>• बी0एम0डब्ल्यू0 के अन्तर्गत निर्धारित रंगों की बिन चिकित्सालय में उपलब्ध नहीं था।<br>• चिकित्सालय के मुख्य द्वार से प्रसव कक्ष हेतु साइनेज समुचित रूप से नहीं लगाये गये थे।<br>• चिकित्सा इकाई में मात्र एक एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक की तैनाती है। कोई लैब टेक्नीशियन एवं स्वीपर की तैनाती नही है।<br>• आशाओं का चयन 274 के सापेक्ष 194 है। तथा 15 आशा संगिनियों के सापेक्ष 9 आशा संगिनियाँ कार्य कर रही हैं। शेष आशाओं के चयन की प्रक्रिया चल रही है। | • साफ–सफाई के सम्बन्ध में प्रभारी चिकित्साधिकारी को अवगत कराया गया।<br>• जिला क्वालिटी कन्सलटेंट को निर्देशित किया गया कि प्रति सप्ताह चिकित्सा इकाई में जाकर स्टाफ को इस सम्बन्ध में अभिमुखीकृत करे।<br>• चिकित्सा इकाई में कार्मिकों की तैनाती के सम्बन्ध में प्रभारी मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय को अवगत करा दिया गया है। | |
| 3 | एच0डब्ल्यू0सी0–उपकेन्द्र, बुकरावली, ब्लाक–लोधा | • हेल्थ एण्ड वेलनेस के अन्तर्गत कक्ष का निर्माण कार्य प्रगति पर था।<br>• सी0एच0ओ0 को बैठने इत्यादि की सुविधा नहीं थी।<br>• आवश्यक औषधियों एवं जाँचों हेतु किट का अभाव था।<br>• बिजली, पानी की उचित व्यवस्था नहीं थी।<br>• बाउण्ड्री वाल न होने के कारण उपकेन्द्र परिसर में भूसा आदि रखा गया था। | • सी0एच0ओ0 को निर्देशित किया गया कि वह आशा के सहयोग से समुदाय में कम्यूनिटी आउटरीच एक्टीविटीज का प्रारम्भ करे।<br>• Population Enumeration करते हुए NCD Screening प्रारम्भ करें।<br>• प्रभारी चिकित्साधिकारी को सुझाव दिया गया कि वह उपकेन्द्र Untied से बाउण्ड्री वाल का निर्माण करा लें। | प्रभारी चिकित्सा अधीकारी/ जनपद स्तर |
| 4 | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अण्डला, ब्लाक–खैर | • प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अण्डला, ब्लाक–खैर को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर के रूप में चिन्हित किया गया है।<br>• चिकित्सा इकाई में एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक की तैनाती नहीं है।<br>• एक आयुष चिकित्सक एवं फार्मासिस्ट द्वारा ही इकाई का संचालन किया जा रहा है।<br>• ब्रांडिग नहीं की गयी थी।<br>• जाँचें नहीं हो रही थी।<br>• इकाई का बोर्ड एवं सिटीजन चार्टर नहीं लगा था।<br>• स्टाफ नर्स की तैनाती हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर के स्थान पर सी0एच0सी0. पर की गयी थी।<br>• हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर हेतु आवश्यक उपकरण एक कमरे में रखे हुए थे। | • प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर हेतु आवश्यक मदों को पूरा करने हेतु सुझाव दिया गया। | प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/ जनपद स्तर |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खैर | • चिकित्सा इकाई पर एक ही एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक की तैनाती है।<br>• चिकित्सा इकाई से सम्बद्व 6 उपकेन्द्रों पर ए0एन0एम0 की तैनाती नहीं की गयी है।<br>• मात्र 25 प्रतिशत ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति के खातों में नवीन शासनादेश के अनुसार आशाओं को हस्ताक्षरी बनाया गया है।<br>• चिकित्सा इकाई में औसतन 260 प्रसव प्रतिमाह होते हैं परन्तु सी–सेक्शन के समस्त केसों को रिफर किया जाता है।<br>• लेबर रूम में कैलिस पैड पंचर था।<br>• डिजिटल थर्मामीटर नहीं था।<br>• प्रोटोकाल पोस्टर नहीं लगे थे।<br>• केसशीट में कन्सेन्ट फार्म में केवल हस्ताक्षर कराये जा रहे थे।<br>• लेबर रूम में कम वजन अथवा अधिक वजन के बच्चों के रेफरल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।<br>• जे0एस0वाई0 के अन्तर्गत विगत वर्ष के 420 लाभार्थियों का भुगतान नहीं किया गया एवं वित्तीय वर्ष 2017–18 के 369 लाभार्थियों का भुगतान नहीं किया गया था।<br>• एन0बी0एस0यू0 कार्नर नहीं था।<br>• परिवार नियोजन काउन्सलर द्वारा परिवार नियोजन सम्बन्धी किसी भी रिकार्ड को अद्युनांत नही किया जा रहा था।<br>• आर0टी0आई0 / एस0टी0आई0 की दवाईयाँ उपलब्ध नहीं थी।<br>• 163 के सापेक्ष 148 आशायें कार्य कर रही है। | • इस सम्बन्ध में प्रभारी मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय को अवगत करा दिया गया है।<br>• बी0सी0पी0एम0 को निर्देशित किया गया कि वह शत–प्रतिशत खातों में नवीन शासनादेश के अनुसार आशा को हस्ताक्षर बनवाने हेतु कार्यवाही करें।<br>• प्रभारी चिकित्साधिकारी को सुझाव दिया गया कि वह समस्त स्टाफ नर्स को इस सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करें एवं इनके उपयोग एवं महत्व के बारे में बतायें।<br>• बी0सी0पी0एम0 को निर्देशित किया गया कि वह संगिनीवार लाभार्थियों की सूची बनाकर लाभार्थियों का भुगतान कराना सुनिश्चित करे।<br>• परिवार नियोजन काउन्सलर को परिवार नियोजन सम्बन्धी समस्त रिकार्ड को अद्युनांत करने हेतु निर्देशित किया गया।<br>• आर0टी0आई0 / एस0टी0आई0 की दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित करे हेतु प्रभारी चिकित्साधिकारी को सुझाव दिया गया। | प्रभारी चिकित्सा अधिकारी / जनपद स्तर |
| 6 | ग्राम रूस्तमपुर सरतखान, उपकेन्द्र, नगला मंदिर, ब्लाक–लोधा (वी.एच.एन.डी. सत्र) | • वी.एच.एन.डी. सत्र का बैनर नहीं लगा था।<br>• पोलियों वैक्सिन जो कि एक्सपायर हो चुकी थी।<br>• टीकाकरण के बाद दिये जाने वाले संदेश ए0एन0एम0 द्वारा नहीं दिये जा रहे थे।<br>• महिलाओं की पेट जाँच, स्थान की कमी के कारण नहीं की जा रही थी।<br>• महिला स्वास्थ्य कार्यकत्री के पास वी.एच.एन.डी. की कार्ययोजना के अनुसार सत्र का संचालन निर्धारित स्थान पर नहीं हो रहा था।<br>• एच.आर.पी. पंजिका नहीं बनायी गयी है। | • वी.एच.एन.डी. सत्र वी.एच.एन.डी. का बैनर एवं शत् प्रतिशत लाभार्थियों की उपस्थित का सुझाव दिया गया।<br>• एक्सपायर वैक्सिन का उपयोग न करने का सुझाव दिया गया।<br>• संदेशों की उपयोगिता के बारे में बताया गया एवं निर्देशित किया गया कि वह टीकारण कराने वाले समस्त लाभार्थियों को संदेश अवश्य बतायें।<br>• बी0सी0पी0एम0 को निर्देशित किया गया कि आशा एवं आशा संगिनी के सहयोग से उचित स्थान का चयन करें, जहाँ सत्र का विधिवत् संचालन किया जा सके।<br>• माइक्रोप्लान में वर्णित स्थान पर ही सत्र का आयोजन करें<br>• एच.आर.पी. पंजिका बनाये जाने का सुझाव दिया गया। | प्रभारी चिकित्सा अधिकारी / जनपद स्तर |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | उपकेन्द्र, मईनाथ, ब्लाक–लोधा (वी.एच.एन.डी. सत्र)। | • वी.एच.एन.डी. सत्र का बैनर नहीं लगा था।<br>• टीकाकरण के बाद दिये जाने वाले संदेश ए0एन0एम0 द्वारा नहीं दिये जा रहे थे।<br>• एलबेण्डाजोल की उपलब्धता नहीं थी।<br>• सत्र स्थल पर आवश्यक समान का अभाव था। | • वी.एच.एन.डी. सत्र वी.एच.एन.डी. का बैनर एवं शत् प्रतिशत लाभार्थियों की उपस्थित का सुझाव दिया गया।<br>• संदेशों की उपयोगिता के बारे में बताया गया एवं निर्देशित किया गया कि वह टीकारण कराने वाले समस्त लाभार्थियों को संदेश अवश्य बतायें।<br>• सत्र स्थल पर एलबेण्डाजोल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।<br>• उक्त के सम्बन्ध में ए.एन.एम. को निर्देशित किया गया कि वह उपकेन्द्र हेतु आवंटित असम्बद्व धनराशि से चटाई, दरी, जग/लोटा, गिलास बाल्टी/घड़ा एवं अन्य आवश्यक सामान का क्रय कर ले। | |

**दिनांक 27.04.2019 को अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय समीक्षा बैठक के मुख्य बिन्दु–**

बैठक में राज्य स्तरीय दल के सदस्यों, मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, मण्डलीय क्वालिटी कन्सलटेंट, रीजनल मैनेजर (कम्यूनिटी प्रोसेस), एच0बी0एन0सी0 कोआर्डिनेटर (यूनीसेफ), जिला कम्यूनिटी प्रोसेस प्रबन्धक, समस्त बी0सी0पी0एम0, बी0पी0एम0, बी0ए0एम0, एच0ई0ओ0 आदि के द्वारा प्रतिभाग किया गया।

- अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थियों का लम्बित भुगतान तत्काल प्रभाव से योजना बनाकर किया जाये।
- समस्त प्रतिभागियों को अपर मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि आशाओं द्वारा किये जा रहे कार्यों के सापेक्ष प्रतिपूर्ति राशि का नियमित भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही निर्देशित किया गया कि आशाओं की प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान बी.सी.पी.एम.–एम.आई.एस. के माध्यम से प्रत्येक माह निर्धारित तिथि में किया जाए।
- भ्रमण की गयी चिकित्सा इकाईयों के लेबर रूम की स्थिति के क्रम में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि नर्स मेण्टर का रोस्टर बना कर समस्त चिकित्सा इकाईयों के लेबर रूम को मानकानुसार तैयार कराया जाये।
- राज्य स्तरीय दल द्वारा सुझाव दिया गया कि आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उल्लेख सुसंगत एफ.एम.आर. कोड में प्रतिमाह किया जाये।
- अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि ब्लाक स्तर से कमिटेड की गयी धनराशि का व्यय नियत समय सीमा में कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि एच0एम0आई0एस0 रिपोर्टिंग व भौतिक स्थिति में भिन्नता को तत्काल प्रभाव से दूर किया जाये।
- अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि ब्लाक स्तरीय चिकित्सा इकाई में सेवा प्रदान करने वाली 102 व 108 एम्बुलेन्स का समय–समय पर परीक्षण किया जाये। तथा उसकी विस्तृत रिपोर्ट जनपद स्तर पर प्रेषित की जाये।
- अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि नवीन शासनादेश के अनुसार ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति का गठन किया जाये तथा उनके खाते खोले जाये।
- अपर मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जनपदीय क्वालिटी कन्सलटेंट एवं मण्डलीय क्वालिटी कन्सलटेंट को निर्देशित किया कि वह समस्त चिकितसा इकाईयों में कार्यरत कर्मिकों को समय–समय पर साफ–सफाई एवं अन्य क्वालिटी बिन्दुओं के प्रति अभिमुखीकृत करते रहें।

| | | |
|---|---|---|
| (मो0 आज़म खान)<br>अनुश्रवण एवं अभिलेखीकरण अधिकारी<br>राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ | (परमेश कुमार वर्मा)<br>प्रशिक्षण एवं अनुश्रवण अधिकारी<br>राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ | (मो0 अताउर रब)<br>उपमहाप्रबन्धक, कम्यू0प्रो0<br>राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ |